रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-ए.पी.-अ.-27032023-244709 CG-AP-E-27032023-244709

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] No. 198] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2023/चैत्र 6, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2023/CHAITRA 6, 1945

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 26 मार्च, 2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023

फा. सं. भाबीविविप्रा/विनियम/2/190/2023.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा 2 के खंड (आईसी) और (जेडी), धारा 40 और धारा 31बी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ङ) एवं धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तिय़ों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

1. विनियमों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभः

- (क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 कहलाएँगे।
- (ख) ये विनियम 1 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- (ग) इन विनियमों की समीक्षा अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक कि उक्त समीक्षा या निरसन या संशोधन की आवश्यकता निर्दिष्ट अवधि से पहले न हो।

2017 GI/2023 (1)

2. उद्देश्यः इन विनियमों के उद्देश्य हैं:

- (क) बाजार नवोन्मेषण के प्रति विनियमन की अनुक्रियाशीलता को बढ़ाना।
- (ख) नये व्यवसाय माडलों, उत्पादों, कार्यनीतियों, आंतरिक प्रक्रियाओं के विकास में बीमाकर्ताओं को सुविधा देना तथा विनियामक उद्देश्यों की पूर्ति करते समय विनियमों के सुगम अनुपालन में उन्हें समर्थ बनाना।
- (ग) बीमा व्यापन में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ संवृद्धि संबंधी बीमाकर्ताओं की आकांक्षाओं और सतत-परिवर्तनशील बीमा आवश्यकताओं के आधार पर उनके व्ययों का प्रबंध करने के लिए उन्हें लचीलापन प्रदान करना।

3. परिभाषाएँ:

- (क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।
- (ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- (ग) "कमीशन" से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने या प्राप्त करने या लेनदेन करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा बीमा एजेंट, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को, जैसा लागू हो, अदा किये गये पारिश्रमिक, प्रतिफल या चाहे किसी भी नाम से कहलानेवाले भुगतान सहित कोई भी क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है।
- (घ) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परन्तु समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उनके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित है।

4. कमीशन के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति

- (क) प्रत्येक बीमाकर्ता के पास कमीशन के भुगातान के लिए एक लिखित नीति होगी, जो बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगी।
- (ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की आवधिक तौर पर समीक्षा की जाएगी।
- (ग) कमीशन के भुगतान के लिए नीति के उद्देश्य *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित पर विचार करेंगेः
 - (i) वह पालिसीधारकों के हित में है;
 - (ii) वह देश में बीमा व्यापन और सघनता में वृद्धि करती है;
 - (iii) बीमा पालिसी का स्वरूप और अवधि;
 - (iv) बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों का हित;
 - (v) वह बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों के कार्यनिष्पादन में वृद्धि करती है;
 - (vi) वह अपने व्यवसाय की कार्यनीति के अनुरूप है;
 - (vii) व्यवसाय के संचालन में और बीमा व्यवसाय के प्रबंध के सरलीकरण में किफायत लाती है; तथा
 - (viii) उपर्युक्त प्रत्येक बिन्द को दिये गये महत्व के सापेक्ष परिमाण पर संकेत देती है।

5. बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों को देय कमीशन

- (क) जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों सिहत जीवन बीमा उत्पादों के अंतर्गत देय कमीशन की कुल राशि समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2023 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रबंधन के व्ययों (ईओएम) की सीमाओं से अधिक नहीं होगी।
- (ख) साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों सिहत साधारण बीमा उत्पादों तथा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के अंतर्गत देय कमीशन की कुल राशि समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2023 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ईओएम सीमाओं से अधिक नहीं होगी।

6. बीमाकर्ता द्वारा कमीशन के भुगतान के संबंध में विवरणिय़ों का प्रस्तुतीकरण

- (क) सभी बीमाकर्ता बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों को बीमाकर्ता द्वारा कमीशन के भुगतान के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवरणियाँ प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 45 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे।
- (ख) ऐसी सूचना और डेटा के लिए फार्मेट समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं।
- (ग) इन विवरणियों की समीक्षा बीमाकर्ता के बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले लेखा-परीक्षा समिति के द्वारा की जाएगी।
- 7. निरसन और बचतः (1) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निरस्त किये जाएँगे।
 - (2) जब तक इन विनियमों के द्वारा अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती, उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों के संबंध में किये गये किसी कार्य अथवा की गई अथवा किये गये रूप में अर्थ रखनेवाले किसी कार्य अथवा किसी कार्रवाई के विषय में समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत किया गया है अथवा की गई है।
- 8. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण की शक्तिः इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण का अध्यक्ष स्पष्टीकरण, निदेश, और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./724/2022-23]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 26th March, 2023

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission) Regulations, 2023

F. No. IRDAI/Reg/2/190/2023.—In exercise of the powers conferred by clause (ic) and (jd) of sub section 2 of section 114A, section 40 and section 31B of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), and sub-section (1) and clause (e) of sub section (2) of section 14 and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely: -

1. Short Title and Commencement of the Regulations:

- (a) These Regulations shall be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission) Regulations, 2023.
- (b) These Regulations shall come into force from 1st April, 2023.
- (c) These Regulations shall be reviewed once in every three years from date of notification, unless the review or repeal or amendment is warranted earlier.

2. Objective: The objectives of these Regulations are:

- (a) To enhance responsiveness of the regulation to market innovation.
- (b) To facilitate the insurers in development of new business models, products, strategies, internal processes and enable in easy compliance with the Regulations while fulfilling the regulatory objectives.
- (c) To provide the insurers the flexibility to manage their expenses based on their growth aspirations and the ever-changing insurance needs with an objective to improve insurance penetration.

3. Definitions:

- (a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time.
- (b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- (c) "Commission" means any compensation including remuneration, or reward, by whatever name called, paid by an insurer to Insurance agent, Intermediary or Insurance intermediary, as applicable, for soliciting or procuring or transacting insurance business.
- (d) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act, as amended from time to time, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any of the rules or regulations made there under shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations.

4. Board approved policy for payment of Commission

- (a) Every insurer shall have a written policy for payment of commission, which shall be approved by the Board of the insurer.
- (b) The Board approved policy shall be reviewed periodically.
- (c) The objectives of the policy for payment of commission shall *inter alia* take into consideration the following:
 - (i) it is in the interest of the policyholders;
 - (ii) it increases insurance penetration and density in the country;
 - (iii) the nature and tenure of the insurance policy;
 - (iv) the interest of the Insurance agent, Intermediary or Insurance intermediary;
 - (v) enhances the performance of the Insurance agent, Intermediary or Insurance intermediary;
 - (vi) it is commensurate with its business strategy;
 - (vii) brings cost efficiencies in the conduct of business and simplification of the administration of insurance business; and
 - (viii) gives an indication on the relative degree of importance placed on each of the above.

5. Commission payable to Insurance agent, Intermediary or Insurance intermediary by insurers

(a) The total amount of commission payable under life insurance products including health insurance products offered by life insurers shall not exceed the Expense of Management (EOM) limits specified under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management of Insurers transacting Life insurance business) Regulations, 2023 as amended from time to time. (b) The total amount of commission payable under general insurance products, including health insurance products offered by general insurers and health insurance products offered by standalone health insurers shall not exceed the EOM limits specified under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance business) Regulations, 2023 as amended from time to time.

6. Submission of Returns on payment of Commission by the insurer

- (a) All insurers, within 45 days of the expiration of each financial year, shall submit to the Authority the Board approved returns on payment of commission by the insurer to the Insurance agent, Intermediary or Insurance intermediary
- (b) The formats for such information and data may be specified by the Authority from time to time.
- (c) These returns shall be reviewed by the Audit Committee prior to being placed for approval of the Board of the insurer.
- 7. **Repeal and saving**: (1) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission or Remuneration or Reward to Insurance Agents and Insurance intermediaries) Regulations, 2016 shall be repealed from the date these Regulations come into force.
 - (2) Unless otherwise provided by these Regulations, anything done, or any action taken or purported to have been done or taken in respect of the Regulations mentioned in sub-regulation (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations.
- **8. Power of the Authority to issue clarifications etc**: To remove any difficulties in application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue clarifications, directions, and guidelines.

DEBASISH PANDA, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./724/2022-23]